अपील सूचना अधिकार संख्या 03/2022(GCMS 2022/3) (आरटीआई नं. 212219161558751) श्री राधेश्याम गोयल, निवासी 23 के ब्लॉक, श्याम कुटीर, नजदीक टण्डन लेबोरेट्री, श्रीगंगानगर बनाम लोक सूचना अधिकारी एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी,श्रीगंगानगर

17.05.2023

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी राधेश्याम गोयल स्वयं उपस्थित नहीं हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि अपीलार्थी ने लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला निर्वाचन अधिकारी, श्रीगंगानगर से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 24.09.2021 से दो बिन्दुओं की सूचना चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी ने उसे निश्चित समय सीमा में उपलब्ध नहीं करवाई है इसलिए उसने लोक सूचना अधिकारी से वांछित सूचना उपलब्ध करवाने की प्रार्थना के साथ यह अपील है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी राधेश्याम गोयल ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 24.09.2021 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला निर्वाचन अधिकारी, श्रीगंगानगर से निम्न दो बिन्दुओं की सूचना चाही थी:

> उपजिला निर्वाचन अधिकारी, श्रीगंगानगर के पत्रांक 1242 से सम्बन्धित सूचना आपके पत्रांक 1242 दिनांक 21.09.2021 में .. अंकित तथ्य कि ''लोक सभा चुनाव 2014 में बीएलओ सुभाष गोयल द्वारा मतदात पर्चिया कम जमा करवाने पर 16 सीसीए के अन्तर्गत आरोप पत्र जारी करने बाबत प्रार्थी के पत्रांक 15.07.2021, 15.08.2021 व 01.09.2021 पर आपने जवाब दिया है कि प्रकरण में जिला निर्वाचन अधिकारी के [illegible] क्रमांक 12164 दिनांक 28.06.2019 की पालना में [illegible] दिनांक 31.07.2019 के द्वारा श्री सुभाष गोयल, तत्कालीन बीएलओ के विरुद्ध सीसीए नियम 16 के अन्तर्गत आरोप पत्र जारी किया गया था।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.06.01 13:03:25 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

1. कृपया 4 मतदाता पर्चिया कम जमा कराने के आधार पर बैंक के पत्रांक 12949 दिनांक 31.07.2019 को जारी अरोप पत्र की प्रमाणित प्रति व सूचना जहां पर 4 मतदाता पर्चिया कम जमा कराने के आधार पर अरोप पत्र जारी किया गया है।
2. उस अधिकारी का नाम व पद की सूचना जिसने आरोप पत्र जारी किया है।

लोक सूचना अधिकारी एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी, श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक 382 दिनांक 07.03.2022 से अपील का जवाब निम्नानुसार प्रेषित किया हैः

उक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में निवेदन हे कि आवेदक श्री राधेश्याम गोयल को प्रार्थना पत्र में चाही गई सूचना के सम्बन्ध में नियमानुसार प्रत्युत्तर प्रेषित किया जा चुका हैः

क्र.सं.	चाही गई सूचना	प्रत्युत्तर
1	04 मतदाता पर्चिया कम जमा कराने के आधार पर बैंक के पत्रांक 12949 दिनांक 31.07.2019 को जारी आरोप पत्र की प्रमाणित प्रति व सूचना जहां 04 मतदाता पर्चिया कम जमा कराने के आधार पर आरोप पत्र जारी किया गया है।	पत्र बैंक द्वारा जारी किया गया है। अतः प्रमाणित प्रति भी बैंक से ही प्राप्त की जा सकती है।
2	उस अधिकारी का नाम व पद की सूचना जिसने अरोप पत्र जारी किया है।	बिन्दु संख्या 1 अनुसार

अतः आवेदक को उसके [illegible]त्र में अंकित चाही गई सूचना के सम्बन्ध में [illegible] संख्या 1415 दिनांक 20.10.2021 द्वारा [illegible] जवाब निर्धारित समयावधि में दिया जा चुका है, जिसकी प्रति इस पत्र के साथ संलग्न प्रेषित की जा रही है। अतः [illegible]ान्जी से निवेदन है कि उक्त अपील संख्या 03/2022 खारिज फरमाई जावे।

संलग्न : उक्तानुसार।

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.06.01 13:03:25 IST
Reason: SelfAttested

लोक सूचना अधिकारी एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी, श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक 382 दिनांक 07.03.2022 से अपील का जवाब उक्तानुसार दिया है और अपने पत्रांक 1415 दिनांक 20.10.2021 से अपीलार्थी को जवाब दिया गया है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है **जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दो में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए।** सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोजकर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यो को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। **इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते।** सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त "सूचना" का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है। **इस प्रकार लोक सूचना अधिकारी एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी,** श्रीगंगानगर **द्वारा अपीलार्थी को जो उत्तर दिया गया है, वह सही है जिसमें किसी प्रकार के** हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होती है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। आदेश की प्रति **लोक सूचना अधिकारी एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी,** श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे [illegible] लार्थी को आदेश की प्रति सूचनार्थ भिजवाई जावे। **पत्रावली** [illegible] हो।

यह आदेश [illegible] **को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।**

(सौरभ स्वामी)

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.06.01 13:03:25 IST
Reason: SelfAttested